न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 39/2025

राजस्थान सरकार जरिये अतुल कुमार बड़ाया, प्रवर्तन निरीक्षक, अजमेर।

........प्रार्थी

बनाम

श्री राहुल सिंह दरोगा पुत्र श्री भैरूलाल दरोगा
ग्राम बावडी, उपखण्ड सरवाड़

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थितः श्री मुकेश बुगालिया, प्रवर्तन निरीक्षक – पैरोकार सरकार

श्री महेन्द्र सिंह चौहान अप्रार्थी अभिभाषक

आदेश

दिनांक 24.09.2025

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 28.05.2025 को जिला रसद अधिकारी अजमेर (द्वितीय) के निर्देशानुसार रेणुका चतुर्वेदी प्रवर्तन अधिकारी, अतुल कुमार बड़ाया प्रवर्तन निरीक्षक, मुकेश बुगालिया प्रवर्तन निरीक्षक, महेन्द्र यादव प्रवर्तन निरीक्षक ग्राम बावडी, उपखण्ड सरवाड में स्थित श्री राहुल सिंह दरोगा के मकान से सटे हुए बाडे में घरेलू गैस सिलेण्डरों के अवैध संग्रहण/दुरूपयोग की जांच करने वास्ते मौके पर पहुँचे। मौके पर उक्त परिसर का निरीक्षण किये जाने पर 16 घरेलू गैस सिलेण्डर पाये गये। जिसके भण्डारण/स्वामित्व के सबंध में श्री राहुल सिंह दरोगा द्वारा कोई दस्तावेज/अनुज्ञप्ति/डायरी इत्यादि प्रस्तुत नहीं किये गये, ना ही कोई सतोषप्रद जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। मौके पर गायत्री गैस एजेन्सी, सरवाड जिला अजमेर के कार्मिक श्री हीरालाल प्रजापत पुत्र श्री प्रताप प्रजापत निवासी गोयला को बुलवा कर घरेलू गैस सिलेण्डरों का कांटे से वजन करवाने पर उनमें एलपीजी की शुद्ध मात्रा 174.4 किग्रा पाई गई है जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

NO.	S.R.NO.	CO.	T.W.	G.W.	N.W.GAS
1	319113	BPCL	15.7	29.9	14.2
2	433820	BPCL	15.4	29.7	14.3
3	085830	BPCL	15.6	29.6	14.0
4	414568	BPCL	15.8	29.9	14.1

जिला कलक्टर
अजमेर

5	841697	BPCL	15.7	29.7	14.0
6	122957	BPCL	15.9	30.0	14.1
7	331926	BPCL	15.8	30.0	14.0
8	503910	BPCL	15.7	29.7	14.0
9	478956	BPCL	16.1	30.1	14.0
10	098987	BPCL	15.7	29.8	14.1
11	662818	BPCL	15.4	20.9	5.5
12	258406	BPCL	15.4	15.4	0
13	288676	HPCL	15.5	29.4	13.9
14	164092	HPCL	15.9	30.1	14.2
15	816717	HPCL	15.8	15.8	0
16	788636	HPCL	15.6	15.6	0

इस प्रकार श्री राहुल सिंह दरोगा द्वारा घरेलू एल.पी.जी गैस सिलेण्डरों का अवैध संग्रहण करके द्रवित पेट्रोलियम गैस (वितरण एवं प्रदाय का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(1) बी, खण्ड 7(1) सी का स्पष्ट उल्लंघन किये जाने के कारण मौके पर पाये गये 16 घरेलू एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर एवं 174.4 किग्रा एलपीजी को राजहित में जब्त किया गया एवं गायत्री गैस एजेन्सी, सरवाड़ जिला अजमेर को जरिये कार्मिक श्री प्रकाश चन्द्र सैन पुत्र श्री रामरतन सैन निवासी गोयला तहसील सरवाड को मौके पर बुलवाकर आगामी आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्दगी में दिए गए जिसका फर्द मौका एवं जब्ती, फर्द सुपुर्दगी तथा फर्द तलपट्टी मौके पर तैयार कर संलग्न फर्द किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत प्रस्तुत कर जब्तशुदा 16 घरेलू एलपीजी सिलेण्डर एवं 174.4 किग्रा एलपीजी को राजसात करने के आदेश बाबत् प्रार्थना पत्र पेश किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया। पेरोकार सरकार द्वारा सुनवाई चाहने पर उभय पक्ष को प्रार्थना पत्र पर सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 28.05.2025 को श्री राहुल सिंह दरोगा के मकान से सटे हुए बाडे में घरेलू गैस सिलेण्डरों के अवैध संग्रहण/दुरूपयोग की जांच करने वास्ते मौके पर पहुँचे। मौके पर

जिला कलक्टर
अजमेर

उक्त परिसर का निरीक्षण किये जाने पर 16 घरेलू गैस सिलेण्डर पाये गये। जिसके भण्डारण/स्वामित्व के सबंध में श्री राहुल सिंह दरोगा द्वारा कोई दस्तावेज/अनुज्ञप्ति/डायरी इत्यादि प्रस्तुत नहीं किये गये, ना ही कोई सतोषप्रद जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार श्री राहुल सिंह दरोगा द्वारा घरेलू एल.पी.जी गैस सिलेण्डरों का अवैध संग्रहण करके द्रवित पेट्रोलियम गैस (वितरण एवं प्रदाय का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(1) बी, खण्ड 7(1) सी का स्पष्ट उल्लंघन किये जाने के कारण मौके पर पाये गये 16 घरेलू एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर एवं 174.4 किग्रा एलपीजी को राजसात फरमावें।

अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी तथा ओ.एम.सी एल.पी.जी डिस्ट्रीब्यूटर एंड सी.एस.सी विलेज लेवल एन्टरप्रेनिअर (वी.एल.सी) के मध्य एम. ओ.यू निष्पादित हो रखा है तथा उसी अनुक्रम में प्रार्थी द्वारा गैस सिलेण्डर सबंधी कार्य किया जा रहा है। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का किसी भी प्रकार से अवैध संगहण/दुरूपयोग नहीं किया है अपितु वास्तविकता यह है कि अप्रार्थी द्वारा निष्पादित एम. ओ.यू के अनुक्रम में विधि द्वारा अपना कार्य सम्पादित किया गया है तथा प्रवर्तन निदेशक द्वारा 16 घरेलू सिलेण्डर जब्त किये गये है उनमें से कई सिलेण्डर गांव वालो के ही है तथा कुछ सिलेण्डर अप्रार्थी के घरेलू कामकाज में आने वाले सिलेण्डर है तथा मौके पर जवाब कुनिन्दा द्वारा निरीक्षक टीम को समस्त दस्तावेज प्रदान किये गये। अतः जब्तशुदा सिलेण्डर पुनः लौटाए जाए।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। दिनांक 28.05.2025 को श्री राहुल सिंह दरोगा के मकान से सटे हुए बाडे में घरेलू गैस सिलेण्डरों के अवैध संग्रहण/दुरूपयोग की जांच करने वास्ते मौके पर पहुँचे। मौके पर उक्त परिसर का निरीक्षण किये जाने पर 16 घरेलू गैस सिलेण्डर पाये गये। जिसके भण्डारण/स्वामित्व के सबंध में श्री राहुल सिंह दरोगा द्वारा कोई दस्तावेज/अनुज्ञप्ति/डायरी इत्यादि प्रस्तुत नहीं किये गये, ना ही कोई संतोषप्रद जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी की जांच कार्यवाही दिनांक 28.05.2025 में अप्रार्थी के उपरोक्त अवैद्य कृत्य स्वतः ही साबित है। इस प्रकार श्री राहुल सिंह दरोगा द्वारा घरेलू एल.पी.जी गैस सिलेण्डरों का अवैध संग्रहण करके द्रवित पेट्रोलियम गैस (वितरण एवं प्रदाय का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(1) बी, खण्ड 7(1) सी का स्पष्ट उल्लंघन किये जाने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर कब्जेराज लिए गए 16 घरेलू एल.पी. जी. गैस सिलेण्डर एवं 174.4 किग्रा एलपीजी को राजसात किया जाता है। चूंकि उक्त सिलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 24.09.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर,अजमेर